न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010044222026

Bail Application/1277/2026
Riyazul Vs. State of U.P.

रियाजुल पुत्र ममनून निवासी ग्राम असौड़ा हापुड़ थाना हापुड़ देहात जिला हापुड़।

बनाम

उ0प्र0 राज्य

मु0अ0सं0 228/2026
अ0 धारा 109,115(2),324(4),333,351(3), 352 बी०एन०एस०

4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ देहात,जिला हापुड ।

08.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त रियाजुल पुत्र ममनून की तरफ से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा झूंठा फंसाया गया है। उक्त वाद में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं है। उक्त वाद का वादी मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त के साले का लड़का है तथा प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्रो से बच्चो की कहा सुनी के ऊपर प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्र अरमान द्वारा उक्त वादी मुकदमा के चचेरे एवं ततेरे भाईयो के विरूद्ध एक मुकदमा अं० धारा 190/2025 अं० धारा 109,115(2),351(3),352 बी०एन०एस० थाना हापुड़ देहात में कायम किया गया था तथा उक्त वाद के वादी मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्र द्वारा किये गये उपरोक्त मुकदमो को दबाव बनाकर वापिस करने की नियत से उपरोक्त मुकदमा कायम किया गया। उक्त वाद की एफ०आई०आर० जिस तरह तहरीर व तकमील की गई है वह बिल्कुल झूठी फर्जी व बनावटी है क्योकि उक्त वाद की घटना दिनांक 28–05–2026 में थाना हापुड़ देहात की पुलिस द्वारा एक मु०अ०सं०– 104/2026 अं०धारा 318(4)115(2),352,351(2), 333 बी०एन०एस० थाना हापुड़ देहात के मामले में समझौते के नाम पर उक्त वाद के

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.06.10 13:51:14 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी/अभियुक्त रियाजुल को दि0 28–09–2020 में ही गिरफ्तार करते हुये अ0 धारा 170,126,135 बी0एन0एस0एस0 थाना हापुड़ देहात के मामले में चालान कर उपजिलाधिकारी न्यायालय हापुड में जेल भेजा जाता है। जिसमें प्रार्थी/अभियुक्ता को दिनाक 29–05–2026 के जमानत स्वीकृत के बाद जिला कारागार गाजियाबाद से रिहा किया जाता है परन्तु उपरोक्त मुकदमे का वादी मुकदमा थाना हापुड़ देहात की पुलिस के साज करके उसी दिन दिनांक 28–05–2025 में उपरोक्त मुकदमा अ0, धारा 110,115(2),324(4),333,351(3), 352 बी०एन०एस० में कायम किया जाता है। परन्तु वादी मुकदमा थाना हापुड देहात की पुलिस से साज करते हुये प्रार्थी /अभियुक्त को दि0 30.05.2026 में ग्राम असौडा से घर से गिरफ्तार करते हुये प्रार्थी/अभियुक्त से एक झूठा व फर्जी चाकू बरामद दिखाते हुये अं० धारा 110 के स्थान पर धारा 109 बी0एन0एस0 व 4/25 आर्म्स एक्ट का इजाफा करते हुये आधार 109, 115(2), 324(4), 333, 351(3),352 बी0एन0एस0 व 4/25 आर्म्स एक्ट में दि0 30–05–2026 में ही चालान कर जेल भेजा जाता है। जबकि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त वाद की घटना जैसी कोई घटना कारित नहीं की गई इस प्रकार उक्त वाद की एफ०आई०आर० अपने आप में संदिग्ध झूठी फर्जी व बनावटी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया जो उक्त घटना की श्रेणी के अर्न्तगत आता हो। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त वाद को जैसी कोई घटना कारित नही की गई है यदि घटना हुई है तो वादी मुकदमा स्वयं के घार में ,वं आस–पास तथा रिश्तेदारो के घरो में सी०सी०टी०वी० कैमरे लगे है। उक्त बाद की घटना के सम्बंध में उक्त वाद के विवेचक द्वारा सी०सी०टी०वी० फुटेज मय केस डायरी के तलब किया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध प्रथम दृष्टया बनता प्रतीत नही होता। प्रार्थी/अभियुक्त कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है और ना ही पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सम्मानित परिवार का सदस्य है। उक्त वाद में प्रार्थी /अभियुक्त का गवाहान तोड़ने का कोई अन्देश नही है। उक्त वाद में प्रार्थी /अभियुक्त माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि के लिये उचित जमानत देने के लिये तैयार है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का तर्क किया गया।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियेाजक एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क किया कि अभियुक्त ने

सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के घर में घुसकर लाठी डंडे व धारदार हथियार से लैस होकर बलवा कारित करने, वादी व उसके भतीजे शाकीब के साथ लाठी डंडे व धारदार हथियार से गाली गलौच करते हुए जानलेवा हमला कर चोटे पहुचाने व जान से मारने की धमकी देने का गंभीर अपराध किया है । अभियुक्त का जुर्म गम्भीर प्रकृति का अपराध है। उक्त आधारों पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियेाजक की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि '' प्रार्थी नौशाद पुत्र ईदरीस निवासी मौ० अमन कलोनी असौडा थाना हापुड देहात जनपद हापुड़ का रहने वाला हूँ। दिनाक 28.05.2026 को समय करीब 11.00 बजे मेरे पड़ोस के रहने वाले फरमान व जफरयाब, अरमान पुत्रगण रिजुल व रिजुल पुत्र ममनुन ने पुरानी बातों को लेकर मेरे घर में व घर के बाहर मेरे व मेरे भतीजे शाकीब पुत्र दिलशाद के साथ लाठी डंडे व धारदार हथियार से गाली गलौच करते हुए मारपीट कर दी मेरा भतीजा शाकीब मौके पर ही बेहोश हो गया तथा चारो ने घर के अन्दर रखे सामान में तोड़फोड़ की है जिससे सामान भी टूट गया है हमारे शोर मचाने पर पड़ोस के फारूक पुत्र फैयाज न सोहयल पिता फारूक आदि के आ जाने पर चारों जान से मारने की धमकी देकर चले गए मेरे प्रार्थना पत्र कानुनी कार्रवाही करने की कृपा करें।''

सुनने एवं पत्रावली /केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के घर में घुसकर लाठी डंडे व धारदार हथियार से लैस होकर बलवा कारित करने, वादी व उसके भतीजे शाकीब के साथ लाठी डंडे व धारदार हथियार से गाली गलौच करते हुए जानलेवा हमला कर चोटे पहुचाने व जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप है । दौरान विवेचना मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रियाजुल को पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद नाजायज छुरा बरामद होना बताया गया है । अभियुक्त का कृत्य अत्यन्त गंभीर व जघन्य प्रकृति का है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त रियाजुल पुत्र ममनून का जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0 228/2026,अ0 धारा 109,115(2),324(4),333,351(3), 352 बी०एन०एस०,4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ देहात,जिला हापुड के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।